



MADHYA BHARAT AGRO PRODUCTS LTD.

Reg. Office- 5-O-21, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara (Raj.) India
Website: www.mbaapl.com Email: secretarial@mbapl.com; CIN No.: L24121RJ1997PLC029126
Tel. No. : 01482-237104 Fax No. : 01482-239638



NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 read with general circular no. 14/2020 dated 08th April 2020, general circular no. 17/2020 dated 13th April 2020, general circular no. 20/2020 dated 05th May 2020 and general circular no. 02/2022 dated 05th May 2022 issued by ministry of corporate affairs read with relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), from time to time (hereinafter collectively referred to as "circulars"), the 25th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conferencing ("VC") on Monday 26th September 2022 at 03:30 P.M. (IST) to transact the business that will be set forth in the notice of AGM ('Notice').

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice and the Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.mbaapl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the notice. Members attending the AGM through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies act, 2013.

In order to send Notice, Annual Report and other Communications to the members in electronic form, Members who have not yet registered their email address are requested to register the same immediately in respect of shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the notice. Additionally, the company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

The Shareholders may note that the final dividend will be paid electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts / cheque will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares held in dematerialized mode) to receive dividend directly into their bank account on the payment date.

By Order of the Board of Directors
For Madhya Bharat Agro Products Limited

Sd/-

(Pallavi Sukhwani)
Company Secretary

Place: Bhilwara
Dated: 23/08/2022

KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

Regd. Offt - 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara, 311001 Rajasthan



For Your Information...
Number of Commercial Pilot License (both aeroplanes & helicopters) issued



2020: 639

2019: 795

2018: 849

2017: 593

2016: 458

Source: Ministry of Civil Aviation

Compiled by Nafanuksan Research

यहां करें भ्रष्टाचार की शिकायत

एक्सीटी दोल
फ़िल्म कोड: 1064
वार्षिक पैकेजाइन
नं.: 9413502834

विवार सागर

"जमीन और मुकद्दम की एक ही फिल्म है दोनों में ही जो बोया है वही निकलता (मिलता) है।"

- पी. वी. रमेश

"ऋगी की छठ्यों इन्हीं इन्हीं तेज होती है कि वह आने वाले अवतारों को सबसे पहले भाँप लेती है।"

- के.आर. कनेलेश

Thoughts of the time

We can't take a slipshod and easy-going attitude toward education in this country. And by we I don't mean 'somebody else' but I mean me and I mean you. It is the future of our country yours and mine which is at stake.

- Henry Ford II

You cannot shake hands with clenched fist!

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

गर्ज मिटी रे गंगता
गांव रुं आटो गंगता
गर्ज मिटी रे 'गंगता' गांव से
आटा गंगता

■ गर्ज मिटी ही मनुष्य का रुख स्वयमेव बदल जाता है।

- स्व. विजय दान देवा

साभार: राज्यानन्द संस्कार, बोलोदा

सार्वजनिक उपक्रमों से वापस मिलीं 17 खदानों की नीलामी करेगी सरकार

नवी दिल्ली/एजेंसी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा लौटाई गई 17 खदानों की नीलामी करने की योजना बना रही है। कोयला और खान मंडी प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन ब्लॉकों को अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। सरकार घेरलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने के प्रयास कर रही है, ताकि विधिन क्षेत्रों में शुक्र ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस लाइसेंसों में यह खदान महत्वपूर्ण है। जोशी ने कहा, एक दिन पहले मुझे 17 ब्लॉक वापस मिले हैं और ये अच्छे ब्लॉक हैं और मैं उन्हें अब नीलामी के लिए रख रहा हूं। एपीएमडीसी और फ़िक्की द्वारा आयोजित भारतीय खनिज और ध्रुत उत्पादन में उन्होंने कहा कि देश में कोयला जैसे क्षेत्रों में कई पीएसयू के पास बड़ी संख्या में खदान हैं। सरकार ने इन पीएसयू से ऐसी सभी खदानों के वापस लेने की कैफला किया है, जिन्हें पांच से छह साल बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किया जाया। इन खदानों की नीलामी की जाएगी।

केप्री लोन्स का आगामी 5 वर्षों में अपने गोल्ड लोन बुक को 8000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

जयपुर/कार्यालय संचाददाता

एमएसएसई क्रेडिट और हाउसिंग फानीस के क्षेत्र में कार्यरत एनवीएफी कंपनी के प्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के केप्री लोन्स की ओर से राजस्थान समेत अन्य राज्यों में 100 से अधिक ब्रांच के साथ अपने गोल्ड लोन कारोबार का शुभारंभ किया है। केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, गोल्ड लोन के बिजनेस हेड रवीश गुरु ने बताया कि कोविड-19 के बाद से छोटे शहरों व गांवों में गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ गई है। इस कारोबार लोग गोल्ड को बेचने की बजाय कौलेटरल के रूप में गिरवी रख रहे हैं।

गोल्ड जैवली को उच्चतम सुरक्षा प्रदान करने के लिये ये गोल्ड लोन शाखायें अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिक्योरिटी वॉल्टों से सुपरजित है। कंपनी ने पूरे राजस्थान में ऐसी 41 गोल्ड लोन ब्रांचों का शुभारंभ किया है और शेष अन्य ब्रांच

केप्री लोन्स ने किया गोल्ड लोन कारोबार का शुभारंभ



मध्यप्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में खोली गई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही तक उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में एआई आधारित सिक्योरिटी वॉल्ट को पारदर्शी रूप से चर्चा करने और वांछनीय सलाह प्राप्त करने में मदद करेंगी।

कंपनी उत्तरी व पश्चिमी भारत के टियर-3, टियर-4 व टियर-5 शहरों को लैंगर बेहद अशाक्ति है। आपामी पांच वर्षों में अपने गोल्ड लोन बुक को 8000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का साथ-साथ 1000 शाखाओं के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार करना है। कंपनी द्वारा प्रत्येक ग्राहक के लिये डेकिटेड रिलेशनशिप मैनेजर उधारकार्तों को पारदर्शी रूप से चर्चा करने और वांछनीय सलाह प्राप्त करने में मदद करेंगी।

मेडिकल स्टोर, शराब, फल-सज्जी व अनाज व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस जरूरी

बीकानेर/नि.सं। मेडिकल स्टोर, शराब, फल-सज्जी व अनाज मंडी के आड़त व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके लिए चिकित्सा व्यापका श्वासित व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस से संबंधित स्वास्थ्य व्यापारियों पर, पानीरसंग ढांड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दिवायें, यूनिट का फैटो, प्रोसेसिंग एवं रिलेशनशिप मैनेजर उधारकार्तों को पारदर्शी रूप से चर्चा करने और वांछनीय सलाह प्राप्त करने के साथ उक्त व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। इसलिए खाद्य व्यापारियों का निर्माण, संग्रहण, चिलिंग, परिवहन व विक्रय से जुड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं की निर्माण खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मानक के तहत सज्जा का प्रावधान भी है। इसलिए खाद्य व्यापारियों का प्रावधान भी है। इसलिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली

का कहना है कि लाइसेंस लेने वाले आवेदक प्रोप्राइटर का संपूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल इत्यादि, व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके लिए चिकित्सा व्यापका श्वासित व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस से संबंधित स्वास्थ्य व्यापारियों पर, पानीरसंग ढांड, प्रोसेसिंग एवं रिलेशनशिप मैनेजर उधारकार्तों को अनुपालना में जर्जरा करने के लिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। इस साथ उत्तरी एवं मानक अधिनियम 1955 की धारा 175.77 के तहत सहायक कलक्टर, बीकानेर के व्यापारियों में जारी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली

खाद्य